

पूर्वोत्तर रेलवे
का.आ.सं.-72/2017

मण्डल रेल प्रबंधक/(का.) वाराणसी के ज्ञापन सं0-का/191/राज/हा.आ./भाग- V/08-09, दिनांक 16.02.2017 के अनुसार हाउस आफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित निम्न अभ्यर्थी को संविदा पर मण्डल चिकित्सालय/वाराणसी के अंतर्गत पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए हाउस आफिसर के पद पर निम्नांकित शर्तों के साथ Engagment किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम सर्वश्री:	चिकित्सालय का नाम
1	डॉ. सोनम वर्मा	दिनेश चन्द्र वर्मा	मण्डल चिकित्सालय

नियम एवं शर्तें :-

- 1 यह डॉक्टर जिस दिन से कार्यभार ग्रहण करेंगे उन्हें उसी दिन से वेतन मानदेय के रूप में देय होगा।
- 2 ये चिकित्सक प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
- 3 प्रत्येक हाउस आफिसर को मौजूद फ्लैट्स में से उपलब्ध रहने पर एक आवास निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। एक फ्लैट में दो या तीन हाउस आफिसर के रहने की व्यवस्था होगी।
- 4 आवास पर रेलवे टेलीफोन की व्यवस्था होगी।
- 5 अस्वस्थ रहने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी।
- 6 एक वर्ष में कुल 08 दिन आकस्मिक अवकाश सेवा अवधि के अनुपात में देय होगा।
- 7 कार्यभार ग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 8 सेवा अवधि की समाप्ति पर हाउस आफिसर की सेवा बिना कारण बताये किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, या दोनों पार्टियों में से किसी भी ओर से 14 (चौदह) दिन अग्रिम सूचना देने पर ऐसा किया जा सकता है।
- 9 एक वर्ष के सेवाकाल समाप्ति के उपरान्त सामान्य प्रथम श्रेणी मानार्थ पास कार्यस्थल से निवास स्थान तक के लिए जारी किया जा सकता है।

यह आदेश जारी होने की तिथि से दस दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लेवे अन्यथा नियुक्ति हेतु आपकी असहमति मानी जायेगी।
उपरोक्त पर मुचिनि/गोरखपुर की स्वीकृति प्राप्त है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
वाराणसी
दि. 16.02.2017

सं0-का/191/राज/हा.आ./भाग-V/08-09

प्रतिलिपि -

- 1 महाप्रबन्धक (का.)/गोरखपुर
- 2 मुचिनि/गोरखपुर
- 3 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/वाराणसी
- 4 वमकाधि/वाराणसी
- 5 वमविप्र/वाराणसी
- 6 कार्याधी/राजपत्रित बिल
- 7 संबंधित कर्मचारी

SL
कृते मण्डल रेल प्रबंधक(का.)
वाराणसी